

बिहार राज्य सहयोग कय-विकय संघ सीमित, पटना।

(बिस्कोमान)

आदेश

श्री अमरेश कुमार सिंह, ल० प्र० प्र०

जब अधिप्राप्ति-केन्द्र सा.ह.दी.तगा. (प्रमोती) के प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे, तब मुख्यालय आदेशों यथा-झापांक-के०ले०/बी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं झापांक-वी/1783 दिनांक-14.12.2011 का उल्लंघन कर दिनांक-23.11.2011 के बाद बैंक खाता से ₹ 56,72,687.00 की अवैध निकासी करने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल के प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

1. निलम्बन अवधि में, इन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।
2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय राज्य सचिव कार्यालय, बिस्कोमान, पटना निर्धारित किया जाता है।
3. इनके विरुद्ध आरोप-पत्र अलग-से निर्गत किया जाएगा।

6/1/14
प्रबन्ध निदेशक

झापांक- सा.ह.दी.तगा. -74-रख-3097 दिनांक- 6-1-2014

प्रतिलिपि:-

1. श्री अमरेश कुमार सिंह, ल० प्र० प्र० को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियंत्री पदाधिकारी के निदेशानुसार अपने जिम्मे का प्रभार सौंपेंगे।
2. संबंधित प्रमंडलीय/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उनके जिम्मे का प्रभार अपने अधीनस्थ कार्मिक को दिलाया सुनिश्चित करेंगे।
3. लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा/केन्द्रीय लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचना एवं कार्यार्थ।
4. सभी पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना को सूचना एवं कार्यार्थ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/एन० डाटा ऑपरेटर को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ।
6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचना एवं कार्यार्थ प्रेषित।

6/1/14
सचिव
6.1.14